

आदेश ब इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 152/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, शाखा कार्यालय - जौहरी बाजार, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक

बनाम

मैसर्स धन लक्ष्मी सिल्वर वर्क्स प्रोपराईटर रव. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री शिवकिशन बजाज जरिये  
विधिक वारिसान

1. श्रीमती कंचन देवी पत्नी रव. श्री मनोज कुमार
2. शिवानी पुत्री रव. श्री मनोज कुमार
3. सविन पुत्र रव. श्री मनोज कुमार
4. माता रव. श्री मनोज कुमार

पता :- एस एफ-07, धनराज महल, भरत पैलेस, दूसरी मजिल/चौथी गंजिल, दुरारी क्रोसिंग, मोती  
सिंह भोगिया जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

एवं वार्ड नम्बर 12, पिपली चौक, जोरावरपुरा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of The Securitisation  
Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री अंजुम, अधिवक्ता, प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 18.04.2023 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स धनलक्ष्मी सिल्वर वर्क्स की हाईपोथिकेटेड/रहन रखी चल सम्पत्ति जो कम्पनी का वर्तमान स्टॉक/भविष्य स्टॉक व मशीन व रॉ-स्टॉक (बैंक रिकार्ड के अनुसार) को हाईपोथिकेट कर राशि 35,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मद्य व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथिकेट सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

447  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 35,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 34,50,737/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.12.2023 के अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक हाईपोथकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाईपोथकेट रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स धनलक्ष्मी सिल्वर वर्क्स की हाईपोथिकेटेड/रहन रखी चल सम्पत्ति जो कम्पनी का वर्तमान स्टॉक/भविष्य स्टॉक व मशीन व रॉ-स्टॉक (बैंक रिकार्ड के अनुसार) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से काम होकर आदेश आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर